बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– .....

संचिका सं0–03/आ01–264/2026...../ श्री चंदन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के विरुद्ध जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–178(प्र0) दिनांक 09.10.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर कार्यालय में HRMS पोर्टल के माध्यम से सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत फर्जी विशिष्ट शिक्षिका तनुश्री के नाम पर कुल ₹98,12,773/– के अवैध भुगतान करने जैसे कतिपय गंभीर आरोपों के लिए श्री कुमार के विरूद्ध जोगसर थाना कांड संख्या–198/26 दिनांक 08.10.2026 को प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

2. उपर्युक्त कृत्य के लिए श्री चंदन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ कार्यालय है तथा निलंबन अवधि में बिहार सकरारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों के तहत जीवन निर्वाह–भत्ता देय होगा।

4. आरोप पत्र एवं अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(विजय कुमार पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक : 03/आ01–264/2026.....21..... पटना, दिनांक 21-10-2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत

संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं श्री चंदन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर (निलंबन मुख्यालय– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ कार्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.10.22

निदेशक (प्रशासन)